

दि कौमिक पॉस्ट

Global
School Of
Excellence,
Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 34

(प्रति बुधवार), इन्दौर, 10 अप्रैल 2024 से 16 अप्रैल 2024

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये

आंध्र प्रदेश के 19 जिलों में भूजल में तय सीमा से अधिक पाया गया फ्लोराइड



तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के कई जिलों के भूजल में फ्लोराइड का स्तर तय सीमा से अधिक पाया गया है। इन जिलों के भूजल में फ्लोराइड का स्तर 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है। वहीं आंध्र प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति कर रहा है।

भूजल के जिन स्रोतों में फ्लोराइड स्तर तय सीमा से बहुत ज्यादा है, उन्हें लाल रंग से चिह्नित किया गया है और उन्हें पीने के लिए उपयुक्त नहीं के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस बीच स्थानीय लोगों को भी इस बारे में जागरूक किया जा रहा है कि वे इस पानी का पीने के लिए उपयोग न करें। इनका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यह जानकारी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सौंपी रिपोर्ट में सामने आई है, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर 12 अप्रैल, 2024 कोर्ट में सबमिट किया गया है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण

(सीजीडब्ल्यूए) का कहना है कि आंध्र प्रदेश के सात जिलों अनंतपुर, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, कृष्णा, कुरनूल, नेल्लोर और प्रकाशम के भूजल में आर्सेनिक का स्तर 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है, जोकि पेयजल के लिए इसकी अधिकतम स्वीकार्य सीमा है। वहीं आंध्रप्रदेश सरकार ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी देते हुए लिखा है कि भूजल के नमूने जिनमें आर्सेनिक 0.01 मिलीग्राम/लीटर की अनुमेय सीमा के करीब पाया गया, उन्हें गांव के पेयजल स्रोतों से नहीं एकत्र किया गया था। बल्कि उन्हें राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफ नेटवर्क के निगरानी स्टेशनों और मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में उथले कुओं से एकत्र किया गया था। इन कुओं की गहराई 11 मीटर से कम है।

23 नमूनों में तय सीमा से अधिक पाया गया आर्सेनिक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रभावित जिलों में पानी के केवल 23 नमूनों में तय सीमा से अधिक आर्सेनिक पाया गया है, जो छिटपुट घटना है। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि यह संभवतः प्राकृतिक कारणों से नहीं है, बल्कि इसके लिए फॉस्फेट उर्वरक, कीटनाशक और खराब जल निकासी जैसे कारण जिम्मेवार हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल स्रोतों में आर्सेनिक का स्तर सुरक्षित है। वहां पीने के पानी के सभी नमूने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर की अनुमेय सीमा के भीतर थे। इससे पता चलता है कि स्थिति चिंताजनक नहीं है। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि आंध्र प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग एकल ग्राम योजनाओं के माध्यम से आर्सेनिक प्रभावित सभी ग्रामीण बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा रहा है। यह भी बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में सभी जल स्रोतों के रासायनिक मापदंडों के लिए साल में एक बार और स्थानीय जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशालाओं द्वारा बैकटीरिया के स्तर का साल में दो बार मानसून से पहले और बाद में परीक्षण किया जाता है।

पर्यावरण संरक्षण और समय बचाएगी मेमू ट्रेन

काशीपुर (एजेंसी)। रेलवे ने पर्यावरण को ध्यान में देखते हुए डीजल से संचालित ट्रेनों के बदले यात्रियों को मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (मेमू) ट्रेनों की सौगात दी है। रेलवे ने इस महीने किराया कम करने के साथ ही मेमू की यह दूसरी सौगात यात्रियों को दी है। लंबे समय से रामनगर-मुरादाबाद ट्रेक पर कई ट्रेनें डीजल से संचालित होती थीं जिससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने के साथ ही रेलवे पर डीजल खर्च का भारी बोझ पड़ता था। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इस पर तेजी से कार्य किया है। इससे यात्रियों का काफी सुविधा होगी और समय की बचत भी होगी। रेलवे ने रामनगर-मुरादाबाद के लिए नई ट्रेनों को पटरी पर उतार दिया है जिसमें यात्रियों को काफी सुविधा हो रही है।

यह संचालित हुई मेमू ट्रेन

रेलवे के मुताबिक ट्रेन संख्या 05368 रामनगर-मुरादाबाद, 05367 मुरादाबाद-रामनगर, 05366 रामनगर-मुरादाबाद, 05334 मुरादाबाद-रामनगर, 05333 रामनगर-मुरादाबाद, 05365 मुरादाबाद-काशीपुर, 05351 काशीपुर-रामनगर, 05353 मुरादाबाद-काशीपुर, 05354 काशीपुर-मुरादाबाद के लिए डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू कर दी गई है। इनके अलावा 05351 बरेली सिटी-काशीपुर और 05352 काशीपुर-बरेली सिटी डेमू का स्वरूप बदलकर मेमू में परिवर्तित कर दिया है। वहीं इन ट्रेनों में दो इंजन लगने के कारण शंटिंग के झंझट से भी निजात मिलेगी। इससे समय की भी बचत होगी। रामनगर-मुरादाबाद और मुरादाबाद-रामनगर के बीच डीजल ट्रेन को परिवर्तित कर इलेक्ट्रिक ट्रेन मेमू संचालित की गई है। इससे पर्यावरण स्वच्छ, धन और समय की बचत होगी।

सरकारी स्कूल की टपकती छत से शुरू हुआ शिक्षा का यह सफर आज दीक्षांत समारोह तक जा पहुंचा



राज्यपाल मंगू भाई पटेल द्वारा पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुए 'भाग्यश्री से डॉ भाग्यश्री' का सफर तय हुआ....

इन्दौर (नगर प्रतिनिधि)। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन 28 वां दीक्षांत समारोह महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल की अध्यक्षता में पूर्ण हुआ। इस मौके पर इन्दौर शहर की बेटा भाग्यश्री खडखडिया को दीक्षा प्रदान की गई। भाग्यश्री प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व अध्ययनशाला की शोधार्थी है। पिछले वर्ष ही उन्होंने अपना शोध कार्य पूर्ण करके सबमिट किया था।

समाजसेवी मदन परमालिया ने बताया कि सरकारी स्कूल से शुरू हुआ सफर दीक्षांत समारोह तक पहुंचेगा सोचा भी नहीं था। मध्यमवर्गी परिवार में जन्मी, माता-पिता मजदूर थे, इसके अतिरिक्त उनके चार भाई-बहन और है। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण भाग्यश्री की शिक्षा सरकारी स्कूल से शुरू हुई और दीक्षांत समारोह में सरकारी महाविद्यालय पर जाकर पूर्ण हुई। जीवन बड़ा संघर्ष में ही रहा लेकिन, अपनी दृढ़ शक्ति एवं माता-पिता के लिए कुछ करने की चाह में उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक समय था, जब उनके पास पढ़ने के लिए ना तो किताबें थी और ना ही अच्छा स्कूल। अभाव में गुजारा जीवन उसका स्वभाव बन गया और आज इस मुकाम पर आ पहुंचा। बता दे भाग्यश्री के विषय में एक रोचक तथ्य यह है कि वह इंदौर की रहने वाली है एवं एक ऐसे विषय में समाज सेवा करती हैं जहां कोई महिला सोच भी नहीं सकती। पिछले कई सालों से भाग्यश्री इंदौर में लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार स्वयं करती आ रही है। जिसके लिए उन्हें विश्व रिकॉर्ड भी मिला है। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे द्वारा भाग्यश्री का पूर्व में पहले भी विक्रम अवंती शौर्य अलंकरण से सम्मान किया जा चुका है एवं नारी शक्ति सम्मान इसमें विक्रम विश्वविद्यालय का शामिल है। यह दोनों सम्मान विक्रम महोत्सव के तहत भाग्यश्री के गौरव एवं नारी शक्ति की प्रति समर्पित कहे जाते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे ने सम्मानित करते हुए ने कहा कि भाग्यश्री का जितना सम्मान किया जाए कम है। हम सौभाग्यशाली हैं

कि हम आपका सम्मान कर रहे हैं। इस मौके पर विश्वविद्यालय के सभी गुरुजन ने भाग्यश्री को बहुत-बहुत आशीर्वाद दिया। जीवन की इस पूरी यात्रा का श्रेय अपने माता-पिता जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में उन्हें पढ़ाया एवं उनके पति और परिवार को देती है। भाग्यश्री का एक 5 वर्ष का बेटा भी है। भाग्यश्री जब गर्भवती थी तब से अपने शोध कार्य को शुरू किया था एवं अपने सेवाओं को जारी रखते हुए उन्होंने समाज में एक मिसाल पेश की है। एक महिला जो परिवार समाज और स्वयं के लिए क्या कर सकती है यही भाग्यश्री का सफर डॉक्टर भाग्यश्री तक पहुंचता है।

राखड़ डैम में पानी का छिड़काव करने पर्यावरण विभाग ने दिया नोटिस

कोरबा (एजेसी)। गर्मी के मौसम में राखड़ डैम से राख न उड़े। पानी का लगातार छिड़काव कर नमी बनाए रखने पर पर्यावरण विभाग ने गंभीरता से लिया है। विभाग द्वारा जिले के सभी पावर प्लांट प्रबंधन को नोटिस जारी कर अपने राखड़ बांध में पर्याप्त नमी बनाए रखने कहा गया है। तेज गर्मी की वजह से राखड़ डैम सूख जाते हैं और हवा चलने से राख उड़ कर लोगों की घरों तक पहुंचती है। इससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग ने समस्या के समाधान करने जुट गया है।

गर्मी में जनता को राखड़ की समस्या से परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसे ध्यान रखते हुए पर्यावरण विभाग ने पहले ही सभी पावर प्लांट प्रबंधनों को नोटिस जारी कर अपने राखड़ बांध में नमी बनाए रखने पर ध्यान देने कहा है। ताकि आंधी-तूफान चलने पर राख लोगों के घरों में प्रवेश ना करें। इस संबंध में पर्यावरण विभाग के अधिकारी पीएस पांडेय का कहना है कि नोटिस जारी करने के बाद भी अगर प्रबंधन द्वारा लापरवाही बरती जाती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गर्मी के मौसम में हर साल पर्यावरण विभाग द्वारा सभी पावर प्लांट प्रबंधनों को नोटिस जारी कर राखड़ बांध में पर्याप्त नमी बनाए रखने को कहता है, बावजूद इसके राख की समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ता है।

जलवायु में आते बदलावों की वजह से अंटार्कटिक की बर्फ में गुम होते अंतरिक्ष के रहस्य...

न्यूयार्क। टार्कटिका किसी रहस्यमयी दुनिया से कम नहीं, बर्फ की सफेद चादर से ढंका यह खूबसूरत महाद्वीप जहां आम लोगों के लिए कौतुहल का विषय है वहीं वैज्ञानिकों के लिए किसी अबूझ पहली की तरह है। यह महाद्वीप अपने अन्दर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है, इन्हीं रहस्यों में से एक है यहां मौजूद उल्कापिंड। अंटार्कटिका की सतह अनगिनत छोटे-बड़े उल्कापिंड जमा हैं। जो इस बर्फीले महाद्वीप में अपने साथ सौर मंडल से जुड़े रहस्यों का एक अद्वितीय भंडार संजोए हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से लेकर, चंद्रमा के निर्माण ब्रह्मांड के कई ऐसे रहस्य हैं जिनके जवाब इन उल्कापिंडों से मिल सकते हैं।

लेकिन एक नई रिसर्च से पता चला है कि जिस तरह जलवायु में बदलाव आ रहा है उसके चलते ज्ञान के यह अमूल्य भंडार नष्ट हो रहे हैं। रिसर्च के मुताबिक जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस तेजी से अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रही है, उसके चलते सालाना करीब 5,000 उल्कापिंड बर्फ की गहराइयों में दफन हो रहे हैं। यह नुकसान अंटार्कटिका से उल्कापिंड एकत्र करने की दर से पांच गुना अधिक है। बता दें कि पिछले दशकों में, कई क्षेत्रीय अभियानों के मदद से वहां से हर साल औसतन 1,000 उल्कापिंड एकत्र किए गए हैं।

गौरतलब है कि दुनिया में उल्कापिंडों को खोजने की अंटार्कटिका सबसे बेहतर जगह है। पृथ्वी पर अब तक जो करीब 80,000 उल्कापिंड खोजे गए हैं उनमें से 60 फीसदी से अधिक अंटार्कटिका में बर्फ की सतह पर पाए गए हैं। वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि वहां बर्फ की सतह से अभी 300,000 से 850,000 उल्कापिंड एकत्र किए जाने बाकी हैं। यह अध्ययन बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और यूके के कई संस्थानों से जुड़े शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है, जिसके नतीजे अंतराष्ट्रीय जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित हुए हैं। अपने अध्ययन में शोधकर्ताओं ने उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जलवायु पूर्वानुमानों की मदद ली है। इस अध्ययन के जो नतीजे सामने आए हैं उनके मुताबिक वैश्विक तापमान में हर डिग्री के दसवें हिस्से की वृद्धि के साथ वहां बर्फ की सतह पर मौजूद करीब 5,100 से 12,200 उल्कापिंड गायब हो रहे हैं। जो अंटार्कटिका में मौजूद सभी उल्कापिंडों का करीब एक से दो फीसदी है। देखा जाए तो यह विज्ञान को होती एक बहुत बड़ी क्षति है। इसकी वजह से हम न केवल इन उल्कापिंडों को खो रहे हैं साथ ही इनमें दफन रहस्य भी हमारी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं।

विलुप्त होती अलौकिक विरासत अनुमान है कि अगले 26 वर्षों में 2050 तक अंटार्कटिका में मौजूद तीन से आठ लाख उल्कापिंडों का करीब एक चौथाई हिस्सा (24 फीसदी) हिमनदों के पिघलने के कारण गायब हो जाएगा। वैज्ञानिकों को यह भी अंदेशा है कि जिस तरह से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है उसके चलते सदी के अंत तक इसमें नाटकीय रूप से वृद्धि हो सकती है। अनुमान है कि उच्च तापमान परिदृश्य में 76 फीसदी से अधिक उल्कापिंड गायब हो सकते हैं।

गौरतलब है कि अपने गहरे रंग की वजह से यह उल्कापिंड आसपास की बर्फ की तुलना में कहीं ज्यादा



गर्मी सोख सकते हैं। इसकी वजह से जैसे ही यह गर्मी उल्कापिंडों से बर्फ में स्थानांतरित होती है, इसकी वजह से उनके नीचे की बर्फ गर्म होकर पिघलने लगती है। इससे बर्फ में एक छिद्र बन जाता है, जिसकी वजह से यह उल्कापिंड बर्फ की सतह के नीचे डूब जाते हैं। ऐसे में एक बार जब वो बर्फ के नीचे होते हैं, तो भले ही वो बहुत गहराई में न हों, तब भी उन्हें ढूँढना आसान नहीं होता। अंटार्कटिका धरती के सात महाद्वीपों में से एक है, जो 140 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। लेकिन यहां इंसानी बसावट बस नाम के लिए है। गर्मियों में यहां इंसानी आबादी करीब चार हजार तक पहुंच जाती है, वहीं पेंगुइन की तादाद करीब 1.2 करोड़ होती है। इसे दुनिया का आखिरी छोर भी कहा जाता है। अंटार्कटिका में तापमान चार डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है और आमतौर पर तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं। इसके ज्यादातर हिस्से में बर्फ की मोटी चादर जमा रहती है। इसी कई फुट मोटी बर्फ में ऐसे कई रहस्य दफन हैं, जो विज्ञान के नजरिए से बेहद मायने रखते हैं। हालांकि बढ़ते तापमान की वजह से जिस तेजी से अंटार्कटिका में जमा बर्फ पिघल रही है, वो अपने आप में एक बड़ा खतरा है। एक अध्ययन के मुताबिक 25 वर्षों में अंटार्कटिका करीब साढ़े सात लाख करोड़ टन बर्फ खो चुका है। इतना ही नहीं अंटार्कटिका में 40 फीसदी से अधिक बर्फ की चट्टानें सिकुड़ चुकी हैं और उनमें से आधी में सुधार के कोई संकेत नहीं दिख रहे। नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के मुताबिक, 20 फरवरी, 2024 को अंटार्कटिक में जमा समुद्री बर्फ का विस्तार 19.9 लाख वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया था। बता दें कि 1979 से सैटेलाइट की मदद से अंटार्कटिका की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। वहीं पिछले वर्ष इसमें रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई थी तब यह सीमा 21 फरवरी, 2023 को 17.9 लाख वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गई। जिस तेजी से अंटार्कटिका में यह बर्फ पिघल रही है वो धरती पर मंडराते के बड़े खतरे का इशारा है। जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन ने भी इसकी पुष्टि की है। ऐसे में शोधकर्ताओं ने बढ़ते उत्सर्जन में कटौती करने के साथ-साथ इन उल्कापिंडों को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने का आह्वान किया है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने से पर्यावरण को लाभ

बिलासपुर। पर्यावरण संरक्षण का मूल अर्थ प्रकृति की रक्षा के लिए काम करना या उन्हें बचाना है। यह शब्द हम किताबों के अंदर कई बार पढ़ते हैं। क्योंकि वहां पर इसके बारे में काफी विस्तार से बताया जाता है। हमें यह भी बताया जाता है कि वनस्पतियों, प्राणियों और मानव जाति समेत सभी सजीवों और उनके साथ संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। इसकी रक्षा के लिए हमें सबसे पहले अपने पुराने धुएँ वाले वाहनों का प्रयोग बंद करना होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ानी होगी।

शहरीकरण की वजह से काफी अधिक गंदगी फैल रही है जो पर्यावरण को दूषित करती है। तेजी से बढ़ते औद्योगीकरण की वजह से प्रदूषण काफी बढ़ रहा है। औद्योगिक कचरा नदियों के अंदर फैल रहा है, जिसकी वजह से नदियों के अंदर रहने वाले जीव-जंतु मर रहे हैं, इसके अलावा वह पानी किसी उपयोग के योग्य ही नहीं होता है। बिलासपुर में अरपा नदी का पानी अब पीने योग्य नहीं है। नदी में शहर की सारी गंदगी बहा दी जा रही है। अस्पतालों का कचरा और नाले का पानी सीधे मिल रहे हैं। यह प्रकृति के लिए बड़ा खतरा है। कई फैक्ट्री और अस्पतालों के अंदर जहरीले उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। जहरीले उत्पादों को ठीक तरह से प्रयोग करना जरूरी है। वरना यह किसी भी इंसान और जानवरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता जरूरी है। इन जहरीले उत्पादों को इस तरह से रखा जाना चाहिए कि यह किसी को नुकसान ना पहुंचाए।

वैज्ञानिक अध्ययन के बाद ही जलकुंभी को साफ करने के लिए रसायनों का करें उपयोग- एनजीटी

नई दिल्ली (एजेंसी) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कहा है कि जलकुंभी पर ड्रेनजाइम का उपयोग करने से पहले इसकी जांच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ-साथ भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईआईटीआर), लखनऊ द्वारा की जानी चाहिए। अगर यह पुष्टि हो जाती है कि इससे जल निकाय की पारिस्थितिकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा तो कानून का पालन करते हुए इसके उपयोग की इजाजत दी जा सकती है।

इस मामले में पांच अप्रैल, 2024 को एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से यह जांच करने को कहा है कि जलकुंभी या प्राकृतिक जल निकायों में ड्रेनजाइम का उपयोग करना व्यावहारिक है या नहीं। सीपीसीबी को चार महीने के भीतर ट्रिब्यूनल की पश्चिमी बेंच के रजिस्ट्रार के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है। गौरतलब है कि हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ट्रिब्यूनल ने यह कार्रवाई शुरू की थी। गौरतलब है कि ड्रेनजाइम, एक एंजाइम आधारित उत्पाद है, जिसकी मदद से जलाशयों को साफ करने पर विचार किया जा रहा है।

यह खबर पुणे नगर निगम (पीएमसी) द्वारा नदियों और झीलों में जलकुंभी की समस्या के समाधान के लिए जैव-एंजाइम या प्राकृतिक रसायनों के उपयोग को लेकर लिए गए निर्णय से जुड़ी थी। खबर के मुताबिक सोशल मीडिया में बड़ी संख्या में मच्छरों के आतंक का वीडियो वायरल होने के बाद पीएमसी को नदियों और झीलों पर जैव एंजाइम या प्राकृतिक रसायनों के छिड़काव का विचार आया।

खबर से पता चलता है कि पीएमसी ने बावधन की रामनदी नदी पर एक बायो-एंजाइम का छिड़काव किया है। यह भी पता चला है कि बाद में नगर निकाय ने केशव नगर, खराड़ी और मुंडवा जैसे इलाकों में मुला मुथा नदी क्षेत्र पर कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए ड्रोन का उपयोग शुरू कर दिया। महाराष्ट्र



प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि इसके लिए ग्लाइफोसेट का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि इससे मानव स्वास्थ्य को खतरा है। एमपीसीबी ने इस मुद्दे को संबोधित करते हुए 30 जून, 2023 को पीएमसी को एक पत्र भी भेजा था। इस बारे में पीएमसी की ओर से एक रिपोर्ट भी दायर की गई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उन्होंने रामनदी के किनारे 40 वर्ग फुट के स्थिर पानी के पूल में परीक्षण के रूप में जलकुंभी पर ड्रेनजाइम का छिड़काव किया था। पीएमसी के वकील ने कहा है कि जब तक उन्हें सक्षम निकाय इस संबंध में मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक भविष्य में ऐसा कोई प्रयोग दोबारा नहीं किया जाएगा।

महाराष्ट्र की पावना नदी के प्रदूषण की जांच करने का निर्देश

मुंबई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम को पावना नदी में प्रदूषण के स्रोतों से संबंधित सभी पहलुओं को संबोधित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पांच अप्रैल 2024 को दिए इस निर्देश के मुताबिक रिपोर्ट में इस मुद्दे के समाधान के लिए पीसीएमसी द्वारा उठाए कदमों और प्रस्तावित कार्रवाई की भी जानकारी होनी चाहिए। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) ने अपनी एक रिपोर्ट में सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के बारे में विवरण प्रदान किया है, जिससे पता चलता है कि उनमें से अधिकांश संयंत्र ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और वो आवश्यक मापदंडों को पूरा करने में विफल रहे हैं। ऐसे में एनजीटी ने पीसीएमसी को एसटीपी के काम न करने के मुद्दे पर अपना जवाब देने को कहा है।

इस मामले में ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ-साथ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी), पुणे के जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (पीसीएमसी) के आयुक्त को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। एमपीसीबी की रिपोर्ट में पवना नदी की जल गुणवत्ता पर चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया



है कि पीसीएमसी के सीवेज उपचार संयंत्रों से निकला उपचारित अपशिष्ट आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करता, जिसके परिणामस्वरूप दूषित अपशिष्ट नदी में छोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, पीसीएमसी क्षेत्र में विभिन्न नालों के माध्यम से दूषित घरेलू एफ्लुएंट पवना नदी में छोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट में संक्षेप में पीसीएमसी की प्रतिक्रिया का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सीवेज नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। साथ ही एक नई इंटरसेप्टर लाइन बिछाई गई है। हालांकि, रिपोर्ट में नदियों में छोड़े जा रहे कुल डिस्चार्ज की मात्रा, सीवेज डिस्चार्ज में योगदान देने वाली विशिष्ट नालियों और ऐसे डिस्चार्ज को रोकने के लिए किए गए विस्तृत उपायों के बारे में विवरण शामिल नहीं था।

एनजीटी ने देवरिया में बरसाती जल निकासी को दी हरी झंडी

उत्तर प्रदेश के देवरिया की उसकी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मानसून के दौरान गंभीर जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नौ अप्रैल, 2024 को कहा है कि इस समस्या के समाधान के लिए देवरिया में बरसाती जल निकासी की योजना बनाई जानी चाहिए। हालांकि साथ ही एनजीटी ने आदेश में यह भी कहा है कि स्लैब केवल वहीं रखे जाने चाहिए जहां रास्ते के लिए उनकी आवश्यक हो। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि खुदाई के दौरान निकली मिट्टी को सड़कों पर फैलाने और धूल प्रदूषण को रोकने के लिए निर्धारित स्थान पर ही एकत्र किया जाना चाहिए। वहीं धूल को हवा में फैलाने से रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्रों पर पानी का छिड़काव करने के लिए पानी के टैंकर उपलब्ध होने चाहिए। तट के कटाव को रोकने और नाले के स्वरूप में सुधार के लिए तूफानी जल नाले के दोनों किनारों पर घास, झाड़ियां, देशी पेड़ और बांस उगाए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, शहर से निकलने वाला सीवेज तूफानी पानी में न मिल जाए इसको रोकने के लिए भी उपाय किए जाने चाहिए। गौरतलब है कि इस मामले में आवेदक की शिकायत थी कि वहां उत्खनन से वायु प्रदूषण हो रहा है और इससे आसपास के निवासियों को परेशानी हो रही है।